

राज्य के शासकीय राजपत्र में
तत्काल प्रकाशनार्थ ।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

तारीख- 10 नवम्बर, 2017

निदेश

सं.576/3/ईवीएम/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./न्या./एसडीआर//खण्ड-//2017:- यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क यह उपबंधित करती है कि वोटिंग मशीनों द्वारा मतों का डाला जाना और रिकार्ड करना ऐसी रीति से किया जाए जैसा कि निर्धारित किया जाए और ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में अपनाया जाए जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करे; और


2. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के परन्तुक के अनुसार, ऐसे डिजाइन वाले ड्राप बॉक्स सहित एक प्रिंटर, जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाए, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों या उसके भागों में जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, निदेश दिया जाए, मतों के पेपर ट्रेल के मुद्रण के लिए मतदान मशीन के साथ जोड़ा जाए; और

3. यतः आयोग ने गुजरात राज्य में 182 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, जिनमें वर्तमान में साधारण निर्वाचन चल रहे हैं, की परिस्थितियों पर विचार किया है, और वह संतुष्ट है कि उपर्युक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा पेपर ट्रेल के लिए प्रिंटर एवं वोटर वरिफायबल पेपर आडिट ट्रेल(वी वी पी ए टी) उपलब्ध हैं, तथा मतदान कर्मचारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा पेपर ट्रेल (इसमें इसके उपरन्त 'वी वी पी ए टी' के रूप में सन्दर्भित) के लिए प्रिंटर को दक्षतापूर्ण संचालन करने के लिए प्रशिक्षित हैं तथा निर्वाचक भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और उक्त प्रिंटर्स की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित है।

4. अतः, अब भारत निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उक्त धारा 61क तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा गुजरात राज्य में 182 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, जिसमें 14.11.2017 और 20.11.2017 को अधिसूचित/अधिसूचित किए जाने वाले उक्त निर्वाचन-क्षेत्रों से संबंधित गुजरात राज्य विधान सभा के चालू साधारण निर्वाचन में, निर्वाचनों का

संचालन नियम, 1961 के अधीन निर्धारित रीति से तथा जैसा कि इस विषय पर आयोग द्वारा समय-समय पर अनुपूरक अनुदेश जारी किए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों तथा उक्त वी वी पी ए टी प्रिंटर के माध्यम से मत डाले और रिकॉर्ड किए जाएंगे।

5. आयोग एतद्वारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स कांफरिशन आफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा यथा-विकसित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वी वी पी ए टी प्रिंटर में ड्रॉप बॉक्स सहित प्रिंटर, जिसे उक्त वोटिंग मशीनों के साथ संलग्न किया जाएगा, के डिजाइन को भी अनुमोदित करता है जिनका उपर्युक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतों को डालने और रिकार्ड करने के लिए उपयोग किया जाएगा।

आदेश से,

(एन.टी. भूटिया)
सचिव